न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –धीरेन्द्र सिंह, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 111 / 12 जीसीएमएस नं0 2012 / 00088

उनवानः–

1. महेन्द्र पुत्र कामराज जाति ठाकुर निवासी ग्राम खूबीपुरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर

............................वादी

बनाम

1. भगवानदास पुत्र विपती कौम चमार निवासी खूबीपुरा हाल धनौली तहसील सदर,आगरा
2. रामदास पुत्र विपती कौम चमार निवासी खूबीपुरा हाल टुण्डपुरा नई आबादी तहसील सदर, आगरा उ0प्र0
3. रतीराम पुत्र ऊदलसिंह जाति खटीक निवासी रसमी विहार केहरई मोड शमसाबाद रोड आगरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्वत्व घोषण एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री गोपाल शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय दिनांकः– 20.11.2020

निर्णय

वादीगण की ओर से वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 236 रकवा 3 वीघा 01 विस्वा ग्राम खूबीपुरा को विवादित आराजी अंकित करते हुए इस आशय का पेश किया कि वादी के पूर्वज साविक खसरा नम्बर 172 / 1 रकवा 8 बीघा 16 विस्वा एंव साविक खसरा संख्या 172 / 2 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा जिसमें से खसरा संख्या 236 बना है के पांच हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे व काबिज थे तथा एक हिस्सा के रामनाथ पुत्र हरज्ञान थे। वादी के पूर्वज, वादी का पिता कामराज, श्यामा, गोरे, गुलाबसिंह, त्रिलोक पुत्रगण रामसिंह एंव रामनाथ पुत्र रामग्यान उर्फ हरज्ञान है। श्यामलाल, गोरे, गुलाब सिंह, त्रिलोक का निधन बिना सन्तान पत्नि के कामराज के जीवनकाल में हो गया तथा उनकी समस्त विरासत शेष भाई कामराज पर प्रकान्त होना बताया है। कामराज का निधन 15–16 वर्ष पूर्व हो चुका है। वादी उसका एकमात्र वारिस व कायम मुकाम है जिस पर कामराज का तर्का प्रकान्त होना अंकित किया है। बन्दोवस्त ने खसरा नम्बर 236 जो कि साविक खसरा नं0 172 का अंश है को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सिवायचक अंकित कर दिया, बन्दोवस्त साविका को पुराने इन्द्राज

रिपीट करने के अलावा यह अधिकार नही था कि वह विवादित भूमि को सिवायचक अंकित करें। विवादित कृषि साविक बन्दोवस्त ने गलत रूप से सिवायचक अंकित कर दी थी इस कारण इसका आवण्टन कागजो में गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता विपती के नाम कर दिया गया जो गलत रहा। विवादित भूमि अनओक्यूपाइड खाली भूमि नही रही इसलिए इसका आवण्टन होना संभव नही रहा। विपती के निधन के बाद उसके पुत्रो के नाम नामान्तरकरण हो गया जिन्होने खातेदारी प्राप्त करके विवादित भूमि को प्रतिवादी सं. 3 के हक में दिनांक 19.07.2012 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अथवा 3 का कब्जा विवादित कृषि भूमि पर कभी नही रहा और ना वर्तमान में कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 3 ने विवादित आराजी पर काश्त नही करने देगा की धमकी दी तो जानकारी करने पर पता चला कि बन्दोवस्त विभाग ने गलती से विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया है। जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आवटंन करा लिया है। अतः वादी द्वारा दावा वास्ते स्वत्व घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 2 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित कृषि भूमि के श्यामा, गोरे , कामराज, गुलाब सिंह, त्रिलोक व रामनाथ खोतदार नही रहे ना कभी काबिज रहे है। कामराज इनका वारिस नही है। कामराज रामनाथ का वारिश नही है। कामराज कभी विवादित आराजी का खातेदार कृषक नही रहा। वादी तन्हा कामराज का वारिस नही है। विवादित भूमि बन्दोवस्त से पहले सरकारी भूमि थी जिसका आवटंन विधिवत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के हक में हुआ और कब्जा सौंपा गया। कब्जा होने से उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। अतः दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से जवाब दावा में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का पेश किया कि विपती नियमानुसार राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका था उसकी मृत्यु उपरान्त उसके पुत्रो का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ है और प्रतिवादी संख्या 03 क्रेता है प्रतिवादी संख्या 1 व2 ने दिनांक 05.09.12 को वयनामा किया है। जिसका नामान्तरकरण किया जा चुका है। और तब से प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है और काबिज काश्त है। गलत तथ्यो के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है।

उभयपक्षो के लिखित अभिकथनो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादी विवादित आराजी में स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित कराने एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचारित करा पाने के अधिकारी है।
   ––––––––––वादी
2. आया वादी का विवादित आराजी में कोई हित निहित नही है। वादी का आराजी पर कब्जा काश्त नही होने के कारण वाद पोषणीय नही है।

––––––––प्रतिवादी संख्या 1 व 2

3. आया राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है, धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना वाद पोषणीय नही है।

—————————प्रतिवादी संख्या 1 व 2

4. आया विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से प्रतिवादी संख्या 03 ने दिनांक 19.07.12 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा आराजी को क्रय किया है और काबिज काश्त है। वाद काबिल खारिजी है।

प्रतिवादी संख्या 01

5. अनुतोष

साक्ष्य वादी में जमाबन्दी संवत 2068 से 71 प्रदर्स—1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्स—2, नकल जमाबन्दी संवत 2016—19 प्रदर्स —3 नकल जमाबन्दी 2020—23 प्रदर्स—4, नकल नामान्तरकरण संख्या 58 प्रदर्स—5 नकल नामान्तरकरण संख्या 191 प्रदर्स—6 तथा मौखित साक्ष्या में वादी महेन्द्र ने अपना बयान पी डब्ल्यू—1, गवाह मनीराम पीडब्ल्यू—2 एंव पीडब्ल्यू—3 गवाह नारायनसिंह के बयान कराये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर एकपक्षीय मौखिक बहस में कथन किया कि वादी के पूर्वज विवादित आराजी में हिस्सा 5 के खातेदार काश्तकार थे। जिसका वादी एकमात्र वारिस है। वादी द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्स—2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्स—3 व 4 जमाबन्छी प्रदर्स 5 व 6 नामान्तरकरण की नकले पेश की है। प्रदर्स—3 जमाबन्दी सम्वत् 2016—19 साविक नम्बर 172 रकवा 8 बीघा 16 विस्वा स्थित ग्राम खूबीपुरा दर्ज है जिसके खातेदार श्यामा, गोरे, कामराज, गुलाब, त्रिलोक व रामनाथ हिस्सा बराकर कौम ठाकुर साकिन देह खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्स—2 से खसरा संख्या 172 का नयम नम्बर 236 बना है जो विवादित है। इस प्रकार बन्दोवस्त से पूर्व खसरा नम्बर 236 साविक खसरा संख्या 172/1 वादी के पिता एंव उसके भाईयों की खातेदारी का था। बन्दोवस्त साविका ने इसे सिवायचक दर्ज कर दिया। जिसका अधिकार बन्दोवस्त को नही था। इस सम्बन्ध में आर. आर.डी 1968 पेज संख्या 289 की नजीर पेश की। बन्दोवस्त विभाग द्वारा विवादित भूमि को गलत रूप से सिवायचक दर्ज किया था जिसके उसका आवटंन भी अवैधानिक हुआ और विपती को कोई अधिकार प्राप्त नही हुए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी भी गलत है क्योंकि कभी खसरा संख्या 236 पर इनका कब्जा नही रहा। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाबदेही करने के उपरान्त कोई साक्ष्य पेश नही की गई। वादी ने बन्दोवस्त से पूर्व तक की अपनी खातेदारी को अभिलेख से व मौखिक रूप से बखूबी सिद्ध किया है। इस प्रकार वादी इस आशय की स्वत्व घोषणा कराने का अधिकारी है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 236 ग्राम खूबीपुरा का खातेदार काश्तकार है और इसी हैसियत से काबिज है। अतः उनके द्वारा दावा डिक्री फरमाने का कथन किया।

वादी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत लिखित एंव मोखित बहस पर मनन किया एंव प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया अतः तनकी बार विवेचन निम्न प्रकार हैः—

तनकी नम्बर 1

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्स—2 मिलान क्षेत्रफल पेश किया है जो वर्तमान खसरा नम्बर 236 के पुराने खसरा नम्बर 172/1 मिन को दर्शाता है। जमाबन्दी प्रदर्स—3 व प्रदर्स—4 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 172 रकवा 8 वीघा 16 विस्वा स्थित ग्राम खूबीपुरा तहसील धौलपुर के खातेदार श्याम गोरे कामराज गुलाब त्रिलोक व रामनाथ व हिस्सा बराबर के दर्ज रहे है। वन्दोवस्त ने साविक खसरा नम्बर 172 का नया नम्बर 236 बनाया है जो विवादित है इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है कि बन्दोवस्त तक विवादित कृषि भूमि के खातेदार श्यामा गोरे कामराज गुलाब त्रिलोक व रामनाथ रहे। वादी कामराज का पुत्र है वादी द्वारा साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र की मद संख्या 3,4,5 व 6 में यह उल्लेख किया है कि श्यामलाल गौरेलाल गुलाबसिंह त्रिलोक का निधन लाबल्द बिना पत्नि बिना सन्तान हो गया इनका समस्त तर्का वादी के पिता पर प्रकान्त हुआ रामनाथ का निधन भी बिना पत्नि बिना सन्तान के हुआ। रामनाथ का कामराज नजदीकी वारिश था इसलिए रामनाथ के निधन के बाद रामनाथ का तर्का कामराज पर आया। कामराज के निधन के वाद उसका तर्का वादी पर प्रकान्त हुआ इस प्रकार वादी पूर्व खातेदारो के निधन से विवादित आराजी पर काबिज है। बन्दोवस्त को वादी के पूर्व पुरूष की खातेदारी को रिपीट करने का अधिकार तो था किन्तु भूमि को सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नही था इस प्रकार का मत वादी की ओर से प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 1968 पेज 289 के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रकट किया है। चूंकि भूमि सिवायचक नही हो सकती थी और उसका आवटंन भी नही हो सकता था इसलिए मृतक विपती के हक में हुआ आवटंन भी शून्य है। अतः आवटंन के आधार पर विपती के नाम आई खातेदारी व विपती के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में आयी खातेदारी अधिकार भी शून्य है। और प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया गया बेचान भी शून्य है। प्रतिवादीगण ने जवाबदेही उपरान्त अपने कथनो के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही की है। अतः यह उपधारणा किया जाना उचित है कि प्रतिवादीगण का विवादित कृषि भूमि पर कब्जा नही है। इस प्रकार वादी खसरा संख्या 236 वाके ग्राम खूबीपुरा तहसील मनियां का खातेदार घोषित किये जाने योग्य है और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रचारित करा पाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी इसी प्रकार वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 2

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर था परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नही की गई। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 3

धारा 80 सीपीसी के सम्बन्ध में मा0राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आरआरडी 1974 पेज 271 अनुसार स्वत्व घोषणा के वाद में लैण्ड होल्डर आवश्यक पक्षकार होता है और उसे धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है यह तनकी इसी अनुसार निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 4

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 03 पर था। प्रतिवादी संख्या 03 ने कोई साक्ष्य पेश नही की है तथा तनकी संख्या 01 के विवेचन अनुसार यदि प्रतिवादी के हक मे कोई वयनामा हुआ है तो वह शून्य है। इसलिए यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वादी को खसरा संख्या 236 रकवा 3 वीघा 1 विस्वा वांके ग्राम खूवीपुरा तहसील धौलपुर का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक में हुए इन्द्राज कलमजद किये जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्डाधिकारी
धौलपुर